कार्यालय प्राचार्य, शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय

पुराना धमतरी रोड, सेजबहार, रायपुर (छ.ग.) 492015

दूरभाष नं० 0771-2972963/4, website: www.gecraipur.ac.in, E-mail-principal@gecraipur.ac.in

क्रमांक /GEC / स्था.अराज / 2023 / 8702 रायपुर दिनांकः 01 / 02 / 2023

प्रति,

विभागाध्यक्ष. .. . .
शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय,
रायपुर (छ.ग.) 492015

विषय :– पुरानी पेंशन योजना का लाभ लेने अथवा एन.पी.एस. में यथावत् बने रहने के विकल्प संबंधी।
संदर्भ :– छ.ग.शासन का वित्त निर्देश 2 / 2023 दिनॉक 20–01–2023

––00––

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित वित्त निर्देश 2 / 2023 दिनॉक 20–01–2023 द्वारा दिनॉक 01–11–2004 से 31–03–2022 के मध्य नियुक्त शासकीय सेवकों के लिए पुरानी पेंशन योजना का लाभ लेने अथवा एन.पी.एस. में यथावत बने रहने का विकल्प का प्रावधान किया गया है। (संलग्न)

अतः समस्त विभागाध्यक्ष दिनॉक 01–11–2004 से 31–03–2022 के मध्य नियुक्त शासकीय सेवकों के लिए पुरानी पेंशन योजना का लाभ लेने अथवा एन.पी.एस. में यथावत् बने रहने का विकल्प एवं सहमति पत्र 15 दिवस के भीतर कार्यालय में प्रस्तुत करने हेतु अपने अधिनस्थ शासकीय सेवकों को अवगत करावें।

संलग्न : उपरोक्तानुसार ।

प्राचार्य
शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय
रायपुर (छ.ग.)

पृ.क्रमांक /GEC / स्था.अराज / 2023 / .... रायपुर दिनांकः / 01 / 2023

प्रतिलिपि :

1. निजसहायक , शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय, रायपुर।

प्राचार्य
शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय
रायपुर (छ.ग.)

वित्त निर्देश 02/2023

छत्तीसगढ़ शासन
वित्त विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

क्रमांक 39/एफ 2016-04-03289/वि/नि/चार,नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 20/01/2023

प्रति,

शासन के समस्त विभाग
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, बिलासपुर
समस्त विभागाध्यक्ष
समस्त संभागायुक्त
समस्त कलेक्टर
छत्तीसगढ़

विषयः-दिनांक 01 नवंबर, 2004 एवं उसके पश्चात् नियुक्त शासकीय कर्मचारियों हेतु पुरानी पेंशन योजना (OPS) लागू करने के संबंध में।

संदर्भः-वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 2016-04-03289/वि/नि/चार, दिनांक 11 माई, 2022

--0--

संदर्भित अधिसूचना द्वारा दिनांक 1.11.2004 अथवा उसके पश्चात् नियुक्त शासकीय कर्मचारियों हेतु नवीन अंशदायी पेंशन योजना के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना लागू करने का निर्णय लिया गया है। जिसके सरल क्रमांक 5, 6 एवं 7 के स्थान पर दिनांक 20.01.2023 द्वारा किये गये प्रतिस्थापन की अधिसूचना, छत्तीसगढ़ सिविल सेवाएं (पेंशन) नियम 1976 की अधिसूचना एवं सामान्य भविष्य निधि नियम में संशोधन की अधिसूचना की प्रति संलग्न है।

संलग्नः- उपरोक्तानुसार

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(अतीश पांडेय)
संयुक्त सचिव

पृ.क्र. 40/एफ 2016–04–03289/वि/नि/चार, नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 20/01/2023
प्रतिलिपि:–

1. राज्यपाल के सचिव, राजभवन, रायपुर
2. प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ विधानसभा सचिवालय, रायपुर
3. अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, मुख्यमंत्री सचिवालय, मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर
4. रजिस्ट्रार ज़नरल/महाधिवक्ता/उपमहाधिवक्ता, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
5. सचिव, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग/मानवाधिकार आयोग/राज्य निर्वाचन आयोग/लोक आयोग, रायपुर
6. निज सचिव/निज सहायक, मंत्री/राज्यमंत्री, छत्तीसगढ़, नवा रायपुर, अटल नगर
7. महालेखाकार, छत्तीसगढ़, रायपुर
8. मुख्य सचिव के उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर
9. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग के निज सहायक, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर
10. आयुक्त, जनसंपर्क संचालनालय, नवा रायपुर, अटल नगर
11. आवासीय आयुक्त, छत्तीसगढ़ भवन, नई दिल्ली
12. राज्य सूचना आयुक्त, सेक्टर–19, नवा रायपुर, अटल नगर
13. छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, विविध सेवा मार्ग, बिलासपुर
14. समस्त विशेष सचिव/संयुक्त सचिव/उप सचिव/अवर सचिव/शोध अधिकारी/विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग एवं समस्त शाखा, वित्त विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर
15. संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़, नवा रायपुर, अटल नगर
16. मुख्य लेखाधिकारी, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर
17. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़
18. समस्त कोषालय अधिकारी, जिला/इन्द्रावती कोषालय, छत्तीसगढ़
19. समस्त प्राचार्य, लेखा प्रशिक्षण शाला, रायपुर/बिलासपुर, छत्तीसगढ़
20. संचालक, शासकीय लेखन सामग्री एवं मुद्रण, रायपुर
21. समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघ, छत्तीसगढ़
22. प्रेस अधिकारी, प्रेस प्रकोष्ठ, मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर

– को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु

23. संचालक, वित्तीय प्रबंध एवं सूचना प्रणाली, नया रायपुर को वित्त विभाग की बेबसाइट www.cgfinance.nic.in में अपलोड करने हेतु

(इन्द्रप्रकाश सात्रे)
अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन
वित्त विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अधिसूचना

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 20.01.2023

क्रमांक एफ 2016–04–03289/वि/नि/चार :– राज्य शासन, वित्त विभाग की अधिसूचना क. एफ 2016–04–03289/वि./नि./चार, दिनांक 11 मई, 2022 द्वारा राज्य शासन के पेंशन योग्य स्थापना में दिनांक 1 नवम्बर, 2004 को अथवा उसके पश्चात् नियुक्त समस्त कर्मचारियों के लिये नवीन अंशदायी पेंशन योजना के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना बहाल की गई है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्द्वारा, उक्त अधिसूचना दिनांक 11 मई, 2022 में निम्नलिखित संशोधन करते है, अर्थात्:–

संशोधन

उक्त अधिसूचना में,–

सरल कमांक 5, 6 एवं 7 के स्थान पर, निम्नलिखित सरल कमांक प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात्:–

"5(अ) दिनांक 01–11–2004 से 31–03–2022 तक नियुक्त शासकीय सेवकों को नवीन अंशदायी पेंशन योजना (एन.पी.एस.) में बने रहने का विकल्प अधिसूचना के साथ संलग्न निर्धारित प्रपत्र–एक (नोटराईज्ड) अथवा पुरानी पेंशन योजना का लाभ लेने का विकल्प निर्धारित प्रपत्र–दो (नोटराईज्ड) में कार्यालय प्रमुख को प्रस्तुत करना होगा। शासकीय सेवक के द्वारा एक बार दिया गया विकल्प अंतिम एवं अपरिवर्तनीय होगा।

(ब) दिनांक 01–04–2022 एवं उसके पश्चात् नियुक्त होने वाले शासकीय सेवक अनिवार्यतः पुरानी पेंशन योजना के सदस्य होंगे।

(स) पुरानी पेंशन योजना का विकल्प लेने वाले शासकीय सेवकों/उनके नामिनी (मृत्यु के प्रकरणों में) को सेवानिवृत्ति/मृत्यु दिनांक तक जमा शासकीय अंशदान एवं उस पर आहरण दिनांक तक अर्जित लाभांश की राशि शासकीय खाते में जमा किए जाने के पश्चात् ही सेवानिवृत्त शासकीय सेवक को लागू पेंशन नियम यथा छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1976/छत्तीसगढ़ (कार्यभारित तथा आकस्मिकता से वेतन पाने वाले कर्मचारी) पेंशन नियम, 1979 के प्रावधानों के अंतर्गत पेंशन की पात्रता होने पर,

पेंशन भुगतान आदेश जारी किया जाएगा। शासकीय सेवक को देय मृत्यु–सह–सेवानिवृत्ति उपादान, अवकाश नगदीकरण, समूह बीमा योजना की राशि से, शासन को देय शासकीय अंशदान एवं उस पर अर्जित लाभांश की राशि के समायोजन किए जाने की सहमति, शासकीय सेवक को देना होगा।

(द) पी.एफ.आर.डी.ए. से एन.पी.एस. खाते में जमा राशि राज्य शासन के खाते में प्राप्त नहीं होने के कारण, पुरानी पेंशन योजना का विकल्प लेने वाले शासकीय सेवकों को सेवानिवृत्ति अथवा मृत्यु के प्रकरणों में, उनके एन.पी.एस. खाते में जमा शासकीय अंशदान एवं उस पर आहरण दिनांक को अर्जित लाभांश की राशि, शासकीय कोष में जमा करना होगा। उपरोक्तानुसार जमा राशि को भविष्य के पेंशनरी दायित्वों के भुगतान हेतु लोक लेखे के अंतर्गत पृथक निधि मे रखा जाएगा एवं प्रतिवर्ष, गत वर्ष के पेंशनरी दायित्वों के 4 प्रतिशत के बराबर राशि को, पेंशन निधि में निवेशित की जाएगी।

6. पुरानी पेंशन योजना का विकल्प लेने वाले शासकीय सेवक दिनांक 01–04–2022 से सीजीपीएफ के सदस्य होंगे तथा सामान्य भविष्य निधि नियमों से शासित होंगे। दिनांक 01–11–2004 से 31–03–2022 तक एन.पी.एस. खाते में जमा कर्मचारी अंशदान एवं उस पर अर्जित लाभांश शासकीय कर्मचारी को एन.पी.एस. नियमों के अंतर्गत देय होगा।

7. दिनांक 01–11–2004 से पुरानी पेंशन योजना लागू होने के दिनांक के मध्य कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति/मृत्यु के प्रकरणों में भी, पुरानी पेंशन योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु सरल कमांक 5 में दर्शित प्रकियानुसार निर्धारित प्रपत्र में विकल्प देना होगा तथा शासकीय अंशदान एवं उस पर आहरण दिनांक तक अर्जित लाभांश शासकीय कोष में जमा किया जाना होगा। ऐसे प्रकरण, जिनमें एन.पी.एस. के नियमों के अंतर्गत सेवानिवृत्ति/मृत्यु पर सेवानिवृत्ति लाभ प्राप्त कर लिया गया है, वे भी सरल कमांक 5 में उल्लेखित प्रकिया का पालन कर, शासकीय सेवक को लागू पेंशन नियम के अनुसार पेंशन की पात्रता होने पर, शासकीय सेवक पुरानी पेंशन योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।"

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(अतीश पांडेय)
संयुक्त सचिव

Government of Chhattisgarh
Finance Department
::Mantralaya::
Mahanadi Bhawan, Nava Raipur Atal Nagar

NOTIFICATION

Nava Raipur, Atal Nagar, Date: 20.01.2023

Sl. No. F 2016-04-03289 / Finance / Rules / Four:- By the State Government, Finance Department's Notification No. F-2016-04-03289, dated 11th May, 2022, the Old Pension Scheme has been restored in place of the New Contributory Pension Scheme for all the employees appointed on or after 1st November, 2004 in the pensionable establishment of the State Government, in exercise of the powers conferred by proviso in Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh, hereby, makes the following amendment in the said Notification dated 11th May, 2022, namely:-

AMENDMENT

In the said Notification, -

For serial number 5, 6 and 7, the following serial number shall be substituted, namely:-

"5(a) Option to remain in New Contribution Pension Scheme (NPS) to government servants appointed from 01-11-2004 to 31-03-2022 in the prescribed Form-I (Notarized) attached with the notification or the option to avail the old pension scheme will have to be submitted to the Head of Office in the prescribed Form-II (Notarized). The option once exercised by the Government servant shall be final and irrevocable.

(b) Government servants appointed on 01-04-2022 and after that will compulsorily be members of the Old Pension Scheme.

(c) The Pension Payment Order shall be issued to those Government servants/their nominees (in case of death) who have opted for Old Pension Scheme, who are eligible for pension under the provisions of the pension rules such as the Chhattisgarh Civil Services (Pension) Rules, 1976/Chhattisgarh (Work-Charged and Contingency Paid Employees) Pension Rules, 1979 applicable to retired Government servants, only after depositing the government contribution deposited till the date of retirement/death and the amount of dividend earned thereon till the date of withdrawal, in the government account. The government servant will have to give consent for adjustment of the government contribution payable to the government and the amount of dividend earned thereon from the amount of death-cum-retirement gratuity, leave encashment, group insurance scheme payable to the government servant.

(d) Due to non-receipt of amount deposited in NPS account from PFRDA, in the account of the State Government, in the cases of retirement or death of the government servants option for the Old Pension Scheme, the government servant will have to deposit the amount of government contribution deposited in their NPS account and the amount of dividend earned on the date of withdrawal, in the government fund. The amount deposited as above will be kept in a separate fund under the public account for the payment of future pensionary obligations and every year an amount equal to 4% of the pensionary obligation of the previous year will be invested in the pension fund.

6. Government servants opting for Old Pension Scheme will be members of CGPF from 01-04-2022 and shall be governed by General Provident Fund rules. Employee contribution deposited in the NPS account from 01-11-2004 to 31-03-2022 and dividend earned thereon shall be payable to the government employee as per NPS rules.

7. In the cases of retirement/death of employees between 01-11-2004 and the date of implementation of the Old Pension Scheme, to get the benefit of the old pension scheme, the option will have to be given in the prescribed form as per the process shown in serial number 5 and have to deposit the government contribution and the dividend earned on withdrawal till date will have to be deposited in the government fund. In such cases where retirement benefits have been received on retirement/death under the rules of NPS, have to be followed the procedure mentioned in serial number 5, and on the eligibility of the pension as per Pension Rules applicable to the Government servants, the government servant can avail the benefits of old pension Scheme."

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,

(Atish Pandey)
Joint Secretary

//1 //

प्रपत्र – दो

पुरानी पेंशन योजना को स्वीकार करने हेतु

शपथ–पत्र

मैं...

पदनाम ....

कार्यालय का नाम ....

विभाग का नाम ....

वित्त विभाग, छत्तीसगढ़ शासन की अधिसूचना कमांक एफ 2016–04–03289/वि/नि/चार, दिनांक 20.01.2023 के परिप्रेक्ष्य में राज्य सरकार के निर्णयानुसार इस शपथ–पत्र के माध्यम से निम्नांकित शर्तों पर अपनी स्वेच्छा से पूर्ण सहमति देते हुए अपने लिए पुरानी पेंशन योजना को स्वीकार करता/करती हूँ:–

1. मैं पुरानी पेंशन योजना से शासित होना चाहता/चाहती हूँ तथा इस आशय का शपथ–पत्र देता/देती हूँ कि मुझे इसके कियान्वयन के संबंध में शासन द्वारा जारी दिशा–निर्देश मान्य हैं एवं मेरे द्वारा किसी प्रकार का अतिरिक्त वित्तीय दावा राज्य सरकार से नहीं किया जायेगा ।

2. एन.पी.एस. खाते में जमा शासकीय अंशदान एवं उस पर अर्जित लाभांश की राशि राज्य सरकार को प्राप्त नहीं होने के कारण मेरी सेवानिवृत्ति के उपरान्त शासकीय अंशदान एवं उस पर अर्जित लाभांश की राशि मेरे द्वारा शासकीय कोष में जमा करने के उपरान्त ही मुझे पुरानी पेंशन योजना के अंतर्गत पेंशन देय होगा। मेरे द्वारा शासकीय अंशदान एवं उस पर अर्जित लाभांश की राशि एन.पी.एस. से प्राप्त राशि में से जमा की जाएगी तथा शांसन को देय राशि में कमी की प्रतिपूर्ति मुझे मिलने वाले मृत्यु–सह–सेवानिवृत्ति उपादान/अवकाश नगदीकरण/समूह बीमा योजना अंतर्गत प्राप्त होने वाली राशि से भी किया जा सकेगा।

3. एन.पी.एस.खाते में जमा मेरे अंशदान की राशि किसी भी स्थिति में प्राप्त न होने की स्थिति में मेरे द्वारा राज्य सरकर से इसका दावा नहीं किया जायेगा।

4. नवीन अंशदायी पेंशन योजना (एन.पी.एस.) के अन्तर्गत मेरे वेतन से की जा रही 10 प्रतिशत अंशदान की कटौती माह अप्रैल 2022 से समाप्त हो जायेगी तथा सामान्य भविष्य निधि के प्रावधानों के अनुसार मुझे प्राप्त होने वाले मूल वेतन (परिलब्धियों) से छत्तीसगढ़ सामान्य भविष्य निधि (CGPF) की कटौती कर छत्तीसगढ़ सामान्य भविष्य निधि खाते में जमा की जायेगी।

5. वित्त विभाग द्वारा योजना के अंतर्गत लेखा संधारण विनियमन एवं प्रक्रिया के संबंध में विस्तृत दिशा–निर्देश अलग से जारी किया जायेगा एवं पुरानी पेंशन योजना बहाल करने के कम में किसी प्रकार की भ्रांति उत्पन्न होने पर वित्त विभाग द्वारा सक्षम प्राधिकार से अनुमोदन प्राप्त कर आवश्यक दिशा–निर्देश/स्पष्टीकरण जारी किया जायेगा जो मुझे मान्य होगा ।

6. मेरे द्वारा दिया गया यह विकल्प अंतिम एवं अपरिवर्तनीय होगा ।

कर्मचारी का हस्ताक्षर

दिनांकः–..................................

मोबाइल नं. : ....

कर्मचारी कोड..

PRAN NO...

(प्रपत्र–2 हेतु)

पुरानी पेंशन योजना स्वीकार करने पर शासन को देय राशि के समायोजन हेतु

सहमति पत्र

मैं...

पदनाम...

कार्यालय / विभाग का नाम ....

वित्त विभाग की अधिसूचना कमांक एफ 2016–04–03289 / वि / नि / चार, दिनांक 20.01.2023 के अनुसार मेरे एन.पी.एस. खाते में जमा शासकीय अंशदान एवं उस पर आहरण दिनांक तक अर्जित लाभांश की राशि मेरी सेवानिवृत्ति के उपरांत शासकीय कोष में जमा करने पर ही पुरानी पेंशन योजना के अंतर्गत पात्रता होगी। शासकीय अंशदान एवं उस पर अर्जित ब्याज की राशि का समायोजन मुझे मिलने वाले उपादान / अवकाश नगदीकरण / समूह बीमा योजना अंतर्गत प्राप्त होने वाली राशि से भी करने की सहमति प्रदान करता / करती हूँ।

कर्मचारी का हस्ताक्षर

दिनांकः–......................................

मोबाइल नं.: ....

कर्मचारी कोडः...

PRAN NO: ....

प्रपत्र – एक

नवीन पेंशन योजना (NPS) में बने रहने हेतु

शपथ–पत्र

मैं..

पदनाम..

कार्यालय / विभाग का नाम ....

वित्त विभाग की अधिसूचना कमांक एफ 2016–04–03289 / वि / नि / चार, दिनांक 20.01.2023 के परिप्रेक्ष्य में स्वेच्छा से नवीन अंशदायी पेंशन योजना (NPS) में बने रहने का विकल्प चयन करता / करती हूँ।

मेरे द्वारा दिया गया यह विकल्प अंतिम एवं अपरिवर्तनीय होगा ।

कर्मचारी का हस्ताक्षर

दिनांक:–....................................

मोबाइल नं.: ....

कर्मचारी कोड:..

PRAN NO: ....